विमला देवी v/s जीवण

2014
00348

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/11/24	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] सहाब [illegible] रहने/ [illegible] द्वारा [illegible] के [illegible] जा सकी। [illegible] 5/3/25 को प्रस्तुत हो।
	5/3/24	पत्रावली पेश [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] 7/5/24 को पेश हो।
	7/5/24	पत्रावली पेश श्री अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी उपस्थित नहीं वकील प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार अवसर दिया गया उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अधीन धारा 21 नियम 2 में खारिज किया जाता है। पत्रावली का सब शामिल होकर दस्तियाब सेवा की बाद अग्रिम [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)